1

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र0क्र0 R 817-I-17 सन 2017

हल्केसिंह तनय श्री डिल्लीसिंह निवासी बितालीपुरवा
तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. -----: आवेदक

बनाम

प्रतापसिंह तनय श्री जगन्नाथ सिंह निवासीबितालीपुरवा
तह0 लवकुशनगर जिला छतरपुर म0प्र0 -----: अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान अनुविभागीय अधि0
महोदय लवकुशनगर के प्र0क्र0 262/अपील/2015-16
आदेश दिनांक 4.8.2016 ,

मान्यवर महोदय,

आवेदक सादर निम्न विनय प्रस्तुत करता है ।

1:- यहकि, आराजी नम्बर 423/1 रकवा 1.600 हे0 मौजा बितालीपुरवा का पट्टा आवेदक को दखलकार अधिनियम 1984 के अन्तर्गत 2.10.84 के पूर्व के कब्जे के आधार पर दिनांक 7.6.1990 को तहसीलदार लौड़ी द्वारा प्राप्त हुआ था जिस पर आवेदक काबिज होकर सन 1984 के पूर्व से आज तक कब्जा किए चला आ रहा है ।

2:- यह कि, आवेदक ने अपने पट्टे को पटवारी रिकार्ड मे दर्ज कराये जाने के लिए तहसीलदार लौड़ी के न्यायालय मे आवेदनपत्र पेश किया जो प्र0क्र0 368/ बी 121/96-97 पर दर्ज किया गया और दिनांक 30.11.96 को आवेदक का पट्टा राजस्व रिकार्ड मे विधिवत दर्ज कराया गया ।

3:- यह कि, आदेश दिनांक 7.6.90 की आज दिनांक तक किसी भी न्याया-लय मे कोई अपील या निगरानी नही होगयी है । अनावेदक प्रतापसिंह ने अमल दरामद के आदेश दिनांक 30.11.96 की अपील अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. के न्यायालय मे पेश की जो अवैधानिक तरीके से दिनांक 4.8.2016 को स्वीकार कर ली गयी जिसके विरूद्ध यह निगरानी पेश की जा रही है जो नकल मिलने मे लगे समय को छोड़कर म्याद के अन्दर है और सुने जाने योग्य है ।

निगरानी के आधार

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निगरानी- 817-एक/2017 जिला-छतरपुर

हल्के सिंह विरूद्ध प्रताप सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 262/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04-08-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

11.01.19

जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 11.01.19